No.CDN-27011/2/2018-CDN-MCA
Government of India
Ministry of Corporate Affairs

5th Floor, 'A' Wing, Shastri Bhavan
Dr. Rajendra Prasad Road
New Delhi-110 001
Dated:14.08.2018

A copy of the Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of July, 2018 is enclosed for information.

(Nilratan Das)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele: 23389622

Encl. As above.

All Members of the Council of Ministers

Copy, with enclosures, forwarded to:

1 Secretary to the President of India, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
2. Secretary to the Vice- President of India, Vice President Secretariat, New Delhi.
3 The Principal Director General, Ministry of I & B, Shastri Bhawan, New Delhi
4. Secretary, Deptt. of Telecommunications, Sanchar Bhawan, New Delhi
5. Secretary, Deptt. of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi
6. Secretary, Deptt. of Statistics, Sardar Patel Bhawan, New Delhi
7. Secretary, Legislative Deptt., Shastri Bhawan, New Delhi
8. Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research, C.S.I.R Building, Rafi Marg, New Delhi
9. Secretary, Ministry of Environment & Forest, Paryavaran Bhawan, New Delhi
10. Secretary, Ministry of Urban Development, Nirman Bhawan, New Delhi
11. Secretary, Deptt. of Revenue, North Block, New Delhi
12. Secretary, Deptt. of Industrial Development, Udyog Bhawan, New Delhi
13. Secretary, Deptt. of Defence Production & Supplies, South Block, New Delhi
14. Secretary, Deptt: of Legal Affairs, Shastri Bhawan, New Delhi

Copy to:

(i) Economic Advisor, MCA
(ii) PPS to Secretary, Ministry of Corporate Affairs
(iii) PPS to Additional Secretary, Ministry of Corporate Affairs

Copy, also to: Dir (AK) - To upload the communication on official website of the MCA - under the caption "Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of July, 2018"

(Nilratan Das)
Under Secretary to the Govt. of India

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

IMPORTANT POLICY DECISIONS TAKEN AND MAJOR ACHIEVEMENTS DURING THE MONTH OF JULY, 2018

(1) **Notifications:-**

(i) Section 20 of the Companies (Amendment) Act, 2017 has been brought into force vide Notification No. S.O. 3299(E) dated 05.07.2018.

(ii) 4 Sections (Section 15, 16, 75 and 76) of the Companies (Amendment) Act, 2017 were notified on 05.07.2018 and would come into force from 15.08.2018. (Notification No. S.O. 3300(E) dated 05.07.2018).

(iii) The Companies (Incorporation) Rules, 2014 has been amended to substitute 'financial year' for 'calendar year' to explain the term 'resident in India' and to substitute the requirement of 'declaration' instead of 'affidavit' from subscribers and first directors for the incorporation of a company. (Notification No. G.S.R 708(E) dated 27.07.2018).

(iv) The Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014 has been amended for prescribing the fee for filing e-Form 'DIR-3 KYC' under Rule 12A of the Companies (Appointment and Qualification of Director) Rules, 2014. (Notification No. G.S.R. 616(E) dated 05.07.2018).

(v) The Companies (Appointment and Qualification of Director) Rules, 2014 has been amended to bring into force a new e-Form 'DIR-3 KYC' to intimate the latest particulars of the Director(s) to the Central Government. (Notification No. G.S.R. 615(E) dated 05.07.2018).

(vi) The Companies (Registration of Charges) Rules, 2014 has been amended to increase the time period from 30 days to 300 days for filing of form No. CHG-4 (Satisfaction of Charges). Now a charge holder is also eligible to file CHG-4. (Notification No. G.S.R 614(E) dated 05.07.2018).

(vii) The Companies (Authorised to Register) Rules, 2014 has been amended to enable 'Society' and 'Trust' to convert into companies. This rule shall be effective from 15.08.2018. (Notification No. G.S.R. 613(E) 05.07.2018).

(viii) The Companies (Authorised to Register) Rules, 2014 has been amended to make mandatory to attach Auditor's certificate with Form DPT-1 certifying about the company's

default, if any, in repayment of deposit or interest thereon and the status of default made good. The limit of maintaining liquid assets and creation of deposit reserve account has been increased from 15% to 20% of deposit maturing during the financial year and consequently DPT-3 form has been modified. This rule shall be effective from 15.08.2018. [Notification No. G.S.R. 612(E) 05.07.2018].

(ix) 2 Sections (Section 5 and 6) of the Companies (Amendment) Act, 2017 have been brought into force vide Notification No. S.O. 3684(E) dated 27.07.2018.

(x) Section 36 of the Companies (Amendment) Act, 2017 has been brought into force vide Notification dated 31.07.2018.

(xi) Companies (Accounts) Rules, 2014 has been amended to provide for a disclosure for maintenance of cost records and inclusion of a statement regarding constitution of Internal Complaints Committee under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 in Board's report of a company. An abridged form of Board's report for One Person Company and Small Company has also been provided vide Notification No. G.S.R. 725(E) dated 31.07.2018.

(2) Three MoUs and one MRA were processed in IC Section and were approved by the Cabinet in the month of July, 2018 as under:

(i) "Ex-post" facto approval of the "Memorandum of Understanding (MoU)" signed in 2014 and approval for renewal of MoU between the "Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)" & "Saudi Organisation for Certified Public Accountants (SOCPA)" in Saudi Arabia".

(ii) "Memorandum of Understanding (MoU) between the "Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)" & Bahrain Institute of Banking and Finance (BIBF), Bahrain".

(iii) "Memorandum of Understanding (MoU)" between the "Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)" & "National Board of Accountants and Auditors (NBAA), Tanzania".

(iv) "Ex-post" facto approval of the "Mutual Recognition Agreement(MRA)" signed in 2010 and approval for fresh MRA between the "Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)" & the "Institute of Certified Public Accountants (CPA Ireland)".

सं. सीडीएन-27011/2/2018-सीडीएन-एमसीए

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल, ए विंग, शास्त्री भवन,

डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001

तारीखः 14.08. 2018

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के जुलाई, 2018 माह के मासिक सार की प्रति सूचना हेतु संलग्न है।

नीलरतन दास

(नीलरतन दास)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाषः 23389622

अनुलग्नक - उपरोक्तानुसार

मंत्रिपरिषद् के सभी सदस्य

प्रतिलिपि, संलग्नक सहित, निम्नलिखित को प्रेषित-

1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
2. भारत के उप राष्ट्रपति के सचिव, उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
3. प्रधान महानिदेशक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
4. सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली
5. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
6. सचिव, सांख्यिकी विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली
7. सचिव, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
8. सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, सीएसआईआर बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली
9. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली
10. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
11. सचिव, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
12. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली
13. सचिव, रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
14. सचिव, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषितः (i) आर्थिक सलाहकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(ii) सचिव के प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(iii) अपर सचिव के प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

प्रतिलिपि प्रेषितः निदेशक (ए.के.) - एमसीए वेबसाइट पर "कारपोरेट कार्य मंत्रालय का जुलाई, 2018 का मासिक सार" के अंतर्गत अपलोड करने के लिए

नीलरतन दास

(नीलरतन दास)

अवर सचिव, भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

जुलाई, 2018 माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां

(1) अधिसूचनाएं:-

(i) कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 20 को दिनांक 05.07.2018 की अधिसूचना संख्या का.आ.3299(अ) द्वारा प्रवृत्त किया गया है।

(ii) दिनांक 05.07.2018 को कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 की 4 धाराएं (धारा 15, धारा 16, धारा 75 और धारा 76) अधिसूचित की गई और दिनांक 15.08.2018 से प्रवृत्त की जाएंगी। (अधिसूचना संख्या का.आ.3300(अ) दिनांक 05.07.2018)

(iii) कंपनी (निगमन) नियम, 2014 में संशोधन किया गया जिससे 'भारत का निवासी' पद को स्पष्ट करने के लिए कैलेंडर वर्ष के स्थान पर वित्तीय वर्ष को रखा जा सके और कंपनी के निगमन के लिए हस्ताक्षरकर्ताओं और प्रथम निदेशकों से शपथपत्र के स्थान पर घोषणापत्र की अपेक्षा को रखा जा सके। (अधिसूचना संख्या सा.का.नि.708(अ) दिनांक 27.07.2018)

(iv) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियम, 2014 के नियम 12क के अधीन ई-प्ररूप 'डीआईआर-3 केवाईसी' दायर करने के लिए शुल्क निर्धारित करने हेतु कंपनी (रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और शुल्क) नियम, 2014 में संशोधन किया गया है। (अधिसूचना संख्या सा.का.नि.616() दिनांक 05.07.2018)

(v) नए ई-प्ररूप 'डीआईआर-3 केवाईसी' को प्रवृत्त करने के लिए कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियम, 2014 संशोधन किया गया जिससे केंद्रीय सरकार को निदेशकों के नवीनतम विवरणों के विषय में सूचित किया जा सके। (अधिसूचना संख्या सा.का.नि.615(अ) दिनांक 05.07.2018)

(vi) कंपनी (प्रभारों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2014 में संशोधन किए गए जिससे प्ररूप संख्या सीएचजी-04 (प्रभारों की संतुष्टि) दायर करने के लिए 30 दिन की अवधि को बढाकर 300 दिन किया जा सके। इसके पश्चात् से नया प्रभारधारी भी सीएचजी-04 दायर करने के लिए पात्र होगा। (अधिसूचना संख्या सा.का.नि.614(अ) दिनांक 05.07.2018)

(vii) कंपनी (रजिस्टर करने के लिए प्राधिकृत) नियम, 2014 में संशोधन किए गए जिससे 'सोसायटी' और 'न्यास' को कंपनियों में अंतरित किया जा सके। यह नियम 15.08.2018 से प्रभावी होगा। (अधिसूचना संख्या सा.का.नि.613(अ) दिनांक 05.07.2018)

(viii) कंपनी (रजिस्टर करने के लिए प्राधिकृत) नियम, 2014 में संशोधन किए गए जिससे प्ररूप डीपीटी-01 के साथ लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य किया जा सके जो कंपनियों द्वारा जमा या

उसके ब्याज के पुनः भुगतान, यदि कोई हो, में चूक के विषय में और चूक का भुगतान करने के पश्चात् उसकी स्थिति के विषय में प्रमाणित करता हो। चल आस्तियों को रखने और जमा आरक्षिती खाता खोलने की सीमा को वित्तीय वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाले जमा के 15% से बढाकर 20% कर दिया गया है और इसके परिणामस्वरूप डीपीटी-3 को संशोधित कर दिया गया है। यह नियम 15.08.2018 से प्रभावी होगा। [अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 612(अ) दिनांक 05.07.2018]

(ix) कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 की 2 धाराएं (धारा 5 और धारा 6) दिनांक 27.07.2018 की अधिसूचना संख्या का.आ.3684(अ) द्वारा प्रवृत्त की गई।

(x) कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 36 को दिनांक 31.07.2018 की अधिसूचना द्वारा प्रवृत्त किया गया।

(xi) कंपनी (लेखा) नियम, 2014 में संशोधन किए गए जिससे लागत रिकार्ड के रखरखाव के विषय में प्रकटीकरण किया जा सके और किसी कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिंग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिलोप) अधिनियम, 2013 के अधीन आंतरिक शिकायत समिति के गठन के संबंध में कथन शामिल किया जा सके। दिनांक 31.07.2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.725(अ) द्वारा एकल व्यक्ति कंपनी और लघु कंपनी के विषय में बोर्ड रिपोर्ट का संक्षिप्त प्ररूप दिया गया है।

2. जुलाई, 2018 में आईसी अनुभाग में 3 समझौता ज्ञापन और एक परस्पर मान्यता करार कार्यान्वित किए गए और मंत्रिमंडल द्वारा निम्नानुसार अनुमोदित किए गए।

(i) वर्ष 2014 में हस्ताक्षरित "समझौता ज्ञापन(एमओयू)" का "पदेन" अनुमोदन और सउदी अरबिया में "भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई)" और "सउदी आर्गनाइजेशन फोर सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट (एसओसीपीओ)" के बीच समझौता ज्ञापन के नवीकरण के लिए अनुमोदन।

(ii) "भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई)" और "बहरीन इंस्टीटयूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (बीआईबीएफ), बहरीन" के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू)।

(iii) "भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई)" और "नेशनल बोर्ड ऑफ अकाउंटेंट्स एंड आडिटर्स, तंजानिया" के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू)।

(iv) वर्ष 2010 में हस्ताक्षरित "परस्पर मान्यता करार (एमआरए)" का "पदेन" अनुमोदन और इंस्टीटयूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स (सीपीए आयरलैंड) के बीच नए एमआरए के लिए अनुमोदन।

******